



Neutral Citation No. - 2026:AHC:32796-DB

ए.एफ.आर.

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 139/2026

जय कुमार अग्रवाल.....याचीगण

बनाम

माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय एवं 3 अन्य.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता :मोहित सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :धनंजय अवस्थी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इमरान उल्लाह, जिन्हें याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित सिंह, श्री नदीम मुर्तजा, श्री वेदांत गुप्ता, सुश्री स्निग्धा सिंह, श्री हर्षवर्धन केडिया तथा श्री विनीत विक्रम द्वारा सहयोग दिया गया; प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री धनंजय अवस्थी, श्री गोपी कृष्ण सूद एवं श्री हरमनप्रीत सिंह, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता डीजीजीआई, दिल्ली (ऑनलाइन) तथा राज्य-प्रत्यर्थी संख्या- 3 और 4 की ओर से विद्वान प्रथम अपर शासकीय अधिवक्ता श्रीमती मंजू ठाकुर को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. उपरोक्त उल्लिखित बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

i. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को बंदी/याची को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए, साथ ही याची की निरुद्धि, गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड व अभिरक्षा को असंवैधानिक, अवैध व

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मनमाना घोषित किया जाए और परिणामस्वरूप याची को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाए;

ii. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा वाद संख्या- 1361/2025, विभाग डीजीजीआई, गाजियाबाद, अंतर्गत धारा 132(1)(सी) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 तथा उससे उत्पन्न सभी आनुषंगिक कार्यवाहियों को अपास्त किया जाए;

iii. कोई अन्य और अतिरिक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और उपयुक्त समझे;

iv. वर्तमान याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाए।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 29.12.2025 को सुबह लगभग 8:00 बजे, प्रत्यर्थी संख्या- 1 के अधिकारियों ने याची को निरुद्ध किया और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 के अनुसार उसके आवासीय परिसर में तलाशी की कार्यवाही शुरू की। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 के तहत तलाशी की कार्यवाही के उपरांत, याची को उपरोक्त अधिनियम की धारा 69 के अनुसार दिनांक 16.1.2026 को गिरफ्तार कर लिया गया।

4. याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 16.1.2026 को शाम लगभग 6:40 बजे प्रत्यर्थी संख्या- 1 ने याची को बिना किसी अनुलग्नक के एक गिरफ्तारी मेमो और तलाशी मेमो सौंपा तथा याची व उसकी पत्नी को अपने साथ चलने का निर्देश दिया। उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त, गिरफ्तारी के समय याची को कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। न तो "गिरफ्तारी का आधार" और न ही "विश्वास करने के कारण", जो कि **राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ, (2025) 5 एससीसी 545** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ सपठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं, याची को प्रदान नहीं किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत याची की गिरफ्तारी अनावश्यक है क्योंकि कथित अपराध अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के लिए दंडनीय है और इसलिए सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य (एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या- 5191 वर्ष 2021, निर्णीत दिनांक 11.7.2022 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय को ध्यान में रखते हुए याची की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी।

5. याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (जीएसटी-विवेचना शाखा) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.8.2022 की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"एफ. सं. जीएसटी/आईएनवी/इंस्ट्रक्शन/2021-22 जीएसटी-विवेचना इकाई

17 अगस्त 2022

निर्देश संख्या- 02/2022-23 [जीएसटी - विवेचना]

विषय: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तारी और जमानत के लिए दिशानिर्देश-प्रसंग।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या- 838 वर्ष 2021 जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या- 5442/2021 से उद्भूत है, में अपने निर्णय दिनांक 16 अगस्त, 2021 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक हो जाता है या यह एक जघन्य अपराध हो या जहाँ गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह कानूनी है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है। यदि विवेचक के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा और उसने वास्तव में विवेचना में पूरी तरह से सहयोग किया है, तो हम यह समझने में विफल हैं कि अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई मजबूरी क्यों होनी चाहिए।"

गिरफ्तारी के लिए पूर्ववर्ती शर्तें:

3.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा (1) उसमें निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड से संबंधित है। धारा 69 की उपधारा (1) कमिशनर को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है जहाँ उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कथित अपराधी ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट कोई अपराध किया है जो कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii), या उपधारा (2) के तहत दंडनीय है। इसलिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। कथित अपराधी को गिरफ्तार करने का निर्णय लेने के लिए 'विश्वास करने के कारण' अस्पष्ट नहीं बल्कि पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। विश्वास करने के कारण विश्वसनीय सामग्री पर आधारित होने चाहिए।

3.2 चूंकि गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इसलिए गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी नियमित और यांत्रिक तरीके से नहीं की जानी चाहिए। भले ही सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 में उल्लिखित गिरफ्तारी के लिए सभी कानूनी पूर्ववर्ती शर्तें पूरी होती हों, इसका अर्थ स्वतः यह नहीं होगा कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। एक बार अपराध के कानूनी तत्व बन जाने के बाद, कमिशनर या सक्षम प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि क्या निम्नलिखित में से किसी या कुछ प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है:

3.2.1 क्या वह व्यक्ति गैर-जमानती अपराध से संबद्ध था या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या उसके इस प्रकार संबद्ध होने का एक उचित संदेह मौजूद है?

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3.2.2 क्या अपराध की उचित विवेचना सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है?

3.2.3 क्या वह व्यक्ति, यदि प्रतिबंधित नहीं किया गया, तो आगे की विवेचना की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को डरा-धमका या प्रभावित कर सकता है?

3.2.4 क्या वह व्यक्ति फर्जी जीएसटीइन या गैर-मौजूद व्यक्तियों आदि के नाम पर छद्म/बेनामी लेनदेन करके धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि पास करने का मास्टरमाइंड या मुख्य ऑपरेटर है?

3.2.5 जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक विवेचक के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

3.3 गिरफ्तारी की मंजूरी केवल तभी दी जानी चाहिए जब कर चोरी करने या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने या उसका उपयोग करने या कर के धोखाधड़ी वाले रिफंड या कर के रूप में एकत्र की गई राशि का भुगतान करने में विफलता का आशय, जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, स्पष्ट हो और आपराधिक मनःस्थिति/दोषी मन का तत्व प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हो।

3.4 इस प्रकार, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय लेने से पहले, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, प्रासंगिक कारक यह होने चाहिए कि उचित विवेचना सुनिश्चित करने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को डराने-धमकाने या प्रभावित करने की संभावना को रोकने की आवश्यकता मौजूद हो।

3.5 हालांकि, तकनीकी प्रकृति के मामलों में गिरफ्तारी का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, अर्थात् जहाँ कर की मांग कानून की व्याख्या के संबंध में मतभेद पर आधारित हो। कथित अपराधी पर कर चोरी करने का आशय लगाते समय निर्धारण के कारकों में से एक कारक प्रचलित मूल्यांकन पद्धति भी हो सकती है। गिरफ्तारी के निर्णय को प्रभावित करने वाले अन्य कारक यह हो सकते हैं कि क्या कथित अपराधी विवेचना में सहयोग कर रहा है, जैसे कि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समन का पालन करना, मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करना, टालमटोल वाले उत्तर न देना, स्वेच्छा से कर का भुगतान करना आदि।"

6. उन्होंने उपरोक्त परिपत्र पर अवलम्ब लेते हुए कहा कि याची की गिरफ्तारी के समय उसकी गिरफ्तारी को न्यायसंगत ठहराने वाला कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था। याची की गिरफ्तारी उपरोक्त परिपत्र में प्रदान किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनदेखी करते हुए आकस्मिक तौर पर की गई थी।

7. इसके अतिरिक्त, **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 34 पर अवलम्ब लिया गया है, जो नीचे उद्धृत है:-

"34. प्रवर्तन निदेशालय का यह तर्क कि जहाँ गिरफ्तार व्यक्ति को 'गिरफ्तारी के आधार' प्रदान करना अनिवार्य था, वहीं 'विश्वास करने के कारण' एक आंतरिक और गोपनीय दस्तावेज होने के कारण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, को अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2025) 2 एससीसी 248 में निर्णायक रूप से खारिज कर दिया गया था। यह माना गया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को 'विश्वास करने के कारण' इस प्रकार उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वे अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दे सकें। अपवाद केवल विशिष्ट मामलों में उपलब्ध हैं जहाँ 'विश्वास करने के कारण' के उपयुक्त अंशों को संपादित करने की अनुमति है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"41. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि अभियुक्त पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने का हकदार है, तो गिरफ्तारी की वैधता की जांच करने वाले न्यायालय को अधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर 'विश्वास करने के कारण' के अस्तित्व और उसकी शुद्धता दोनों का सूक्ष्म परीक्षण करना चाहिए। यह स्वीकार करना कठिन है कि लिखित रूप में दर्ज किए गए 'विश्वास करने के कारण' की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 19(1) की आवश्यकताएं गिरफ्तारी के लिए संतुष्ट होने वाली क्षेत्राधिकार संबंधी शर्तें हैं, जिनकी वैधता को अभियुक्त द्वारा चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है। परिणामस्वरूप, यह

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कहना गलत या बेतुका होगा कि अभियुक्त को 'विश्वास करने के कारण' की प्रति देने से इनकार किया जाए और उसे यह न सौंपा जाए। वास्तव में, यह अभियुक्त को 'विश्वास करने के कारण' पर प्रश्न उठाते हुए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने से प्रभावी रूप से रोक देगा। हमारा सरोकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन और कानून के अनुसार गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग से है। गिरफ्तारी की कार्यवाही की जांच, कि क्या वह कानून के अनुसार है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए 'विश्वास करने के कारण' सौंपे जाने चाहिए। 42. हम यह स्वीकार करेंगे कि किसी विशिष्ट मामले में, विवेचना जारी रहने के दौरान गवाहों के नाम और दस्तावेजों के विवरण सहित सभी सामग्री को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं हो सकता है। अधिकांश मामलों में यह स्थिति नहीं होगी। प्रवर्तन निदेशालय विशिष्ट विवरणों और जानकारी को हटाने/संपादित और अपवर्जित करने का दावा कर सकता है। हालांकि, संपादन को न्यायसंगत ठहराने का भार प्रवर्तन निदेशालय पर होगा। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी स्वयं 'विश्वास करने के कारण' के प्रतिपादक हैं और वे उपयुक्त शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सामग्री का उतना विवरण हो, जितना किसी विशेष मामले में आवश्यक हो। चूंकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम हो सकती है जहाँ अच्छे कारण के लिए संपादन न्यायसंगत हो, इसलिए यह कारण अधिकांश मामलों में अभियुक्त को 'विश्वास करने के कारण' की प्रति देने से इनकार करने का एक अच्छा आधार नहीं है। जहाँ संपादन के साथ 'विश्वास करने के कारण' को प्रकट न करना न्यायसंगत हो और उसका दावा किया गया हो, वहाँ न्यायालय को सूचित किया जाना चाहिए। दस्तावेजों सहित फाइल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, न्यायालय को अनुरोध की जांच करनी चाहिए और यदि वे औचित्य पाते हैं, तो 'विश्वास करने के कारण' का एक हिस्सा और दस्तावेज को रोका जा सकता है। इसके लिए न्यायालय द्वारा विचार और निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रवर्तन निदेशालय एकमात्र न्यायाधीश नहीं है।

43. संहिता की धारा 173(6) पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को बयान न देने या खुलासे न करने की अनुमति देती है जब यह जनहित में असमीचीन हो। ऐसी स्थिति में, पुलिस

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिकारी को बयान के विशिष्ट भाग को इंगित करना होता है और मजिस्ट्रेट से उस भाग को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रति से बाहर करने का अनुरोध करते हुए एक नोट संलग्न करना होता है। उसे ऐसा अनुरोध करने के कारण बताने होते हैं। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा।'

8. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 51, 52, 54, 64 और 66 पर अवलम्ब लिया गया है:

"51. अब हम अपना ध्यान जीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित करेंगे। हमने सामूहिक रूप से केंद्रीय और साथ ही राज्य जीएसटी को "जीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया है।

55. काफी हद तक, सीमा शुल्क अधिनियम पर संहिता की प्रयोज्यता के संबंध में हमारा तर्क और आधार, संहिता की धारा 4 और 5 को देखते हुए जीएसटी अधिनियमों पर भी समान रूप से लागू होगा। जीएसटी अधिनियमों की धारा 67 की उपधारा (10) यह मानती है कि तलाशी और जब्ती से संबंधित संहिता के प्रावधान, जहाँ तक संभव हो, जीएसटी अधिनियमों के तहत तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे, इस संशोधन के अधीन कि संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) के उद्देश्य के लिए 'मजिस्ट्रेट' शब्द को 'कमिशनर' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा। धारा 69, जो गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है, एक ऐसा प्रावधान है जिसका संदर्भ हम बाद में देंगे, वह भी संहिता के प्रावधानों से संबंधित है जब जीएसटी अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। यह गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की अधिकृत अधिकारियों की शक्ति से भी संबंधित है, जिसके पास पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समान ही शक्ति होती है और वह उन्हीं प्रावधानों के अधीन होता है। इसलिए, हम इस तर्क से सहमत होंगे कि जब तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के प्रावधानों की बात आती है तो जीएसटी अधिनियम एक संपूर्ण संहिता नहीं हैं, क्योंकि संहिता के प्रावधान समान रूप से लागू होंगे जब तक कि उन्हें जीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट या अंतर्निहित रूप से अपवर्जित न किया गया हो।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



54. जीएसटी अधिनियमों की धारा 69 यह बताती है कि जहाँ एक कमिशनर के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट कोई अपराध किया है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या (ii), या उपधारा (2) के तहत दंडनीय है, तो वह केंद्रीय या राज्य कर के किसी भी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर सकता है। उपधारा (2) के लिए आवश्यक है कि जब किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के लिए अधिकृत अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देनी होगी और उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा।

64. परिपत्र में गिरफ्तारी की प्रक्रिया का भी संदर्भ दिया गया है और यह कि प्रधान आयुक्त/आयुक्त को अपराध की प्रकृति, संलिप्त व्यक्ति की भूमिका, उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पत्रावली पर यह रिकॉर्ड करना होगा कि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने जीएसटी अधिनियम की धारा 132 में उल्लिखित अपराध कारित किया है। गिरफ्तारी और उसकी प्रक्रिया से संबंधित जीएसटी अधिनियमों की धारा 69(3) के साथ सपठित संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 एससीसी (क्रिमिनल) 92** में दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

64.1. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या-128/47/2019-जीएसटी दिनांक 23.12.2019 में निर्धारित गिरफ्तारी के प्रारूप का भी इस निर्देश में संदर्भ दिया गया है। इसलिए, गिरफ्तारी मेमो में जीएसटी अधिनियम और अन्य कानूनों की प्रासंगिक धारा(धाराओं) का उल्लेख होना चाहिए।

64.2. इसके अतिरिक्त, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार समझाए जाने चाहिए और उन्हें गिरफ्तारी मेमो में नोट किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के आधारों से संबंधित इस निर्देश को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (जीएसटी- विवेचना शाखा) द्वारा निर्देश संख्या- 01/2025-जीएसटी दिनांक 13.01.2025 (जीएसटी/आईएनवी/इंस्ट्रक्शन/21-22) के माध्यम से संशोधित किया गया था। दिनांक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13.01.2025 का परिपत्र अब यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार समझाए जाने चाहिए और उसे गिरफ्तारी मेमो के एक अनुलग्नक के रूप में लिखित रूप में भी दिए जाने चाहिए। गिरफ्तारी मेमो की तामीली के समय गिरफ्तार व्यक्ति से उसकी पावती ली जानी चाहिए।

64.3. निर्देश संख्या- 02/2022-23 जीएसटी (विवेचना) दिनांक 17.08.2022 आगे यह प्रावधान करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित या अधिकृत व्यक्ति को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए, और इस तथ्य को गिरफ्तारी मेमो में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की तिथि और समय का उल्लेख भी गिरफ्तारी मेमो में किया जाना चाहिए। अंत में, उचित पावती के अधीन गिरफ्तारी मेमो की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

64.4. यह परिपत्र चिकित्सीय परीक्षण, गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करने के कर्तव्य, और किसी महिला को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में अन्य निर्देश भी देता है। यह गिरफ्तारी के बाद की उन औपचारिकताओं को भी निर्धारित करता है जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। इसमें आगे कहा गया है कि जहाँ कोई जमानत मंजूर नहीं की गई हो, वहाँ जीएसटी अधिनियमों की धारा 132 के तहत अभियोजन परिवाद यथाशीघ्र और अधिमानतः गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर दाखिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। अन्यथा भी, परिवाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। की गई गिरफ्तारियों की एक रिपोर्ट बनाई रखनी होगी और उसे निर्देश के पैराग्राफ 6.1 में दिए गए प्रावधानानुसार प्रस्तुत करना होगा।

9. याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि रिमांड आदेश दिनांक 17.1.2026 से यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड आदेश दिनांक 17.1.2026 पारित किए जाने के बाद ही याची को "चिकित्सीय रिपोर्ट" और "गिरफ्तारी का मेमो" तामील कराया गया था, जबकि उसकी गिरफ्तारी दिनांक 16.1.2026 को की गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उसकी गिरफ्तारी से पूर्व उसे "गिरफ्तारी के आधार" या "विश्वास करने के कारण" उपलब्ध नहीं कराए गए थे। वास्तव में याची को अभी तक "विश्वास करने के कारण" उपलब्ध

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नहीं कराए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब इस न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि रिमांड आदेश पारित होने के बाद याची को "गिरफ्तारी के आधार" उपलब्ध कराए गए थे, तो रिमांड का आदेश अवैध हो जाता है और इसलिए **मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, एमएनयू/एससी/1492/2025** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में इस न्यायालय को याची द्वारा प्रस्तुत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। **उसके प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 56 को नीचे उद्धृत किया गया है:-**

"56. निष्कर्ष में, यह माना जाता है कि:

i) गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने का संवैधानिक जनादेश आईपीसी 1860 (अब बीएनएस 2023) के तहत अपराधों सहित सभी कानूनों के तहत सभी अपराधों में अनिवार्य है; ii) गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में उस भाषा में सूचित किए जाने चाहिए जिसे वह समझता/समझती है; iii) ऐसे मामले(मामलों) में जहाँ गिरफ्तार करने वाला अधिकारी/व्यक्ति गिरफ्तारी के समय या उसके तुरंत बाद लिखित में गिरफ्तारी के आधार सूचित करने में असमर्थ है, तो ऐसा मौखिक रूप से किया जाए।

उक्त आधार एक उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड की कार्यवाहियों के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित रूप में सूचित किए जाएं।

iv) उपरोक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में, गिरफ्तारी और उसके बाद का रिमांड अवैध हो जाएगा और वह व्यक्ति मुक्त होने के लिए स्वतंत्र होगा।"

10. अंततः यह प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और न्यायालय के समक्ष उद्धृत उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि याची को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है और वह दिनांक 16.1.2026 से कारागार में निरुद्ध है। इसलिए, यह रिट याचिका, याचिका में मांगी गई राहतें प्रदान करते हुए स्वीकार किए जाने योग्य है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री धनंजय अवस्थी ने याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का पुरजोर विरोध किया है। प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता का पहला तर्क यह है कि याची को "विश्वास करने के कारण" उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है। ये केवल विभाग और न्यायालय द्वारा परिशीलन किए जाने वाले आंतरिक दस्तावेज हैं क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69(1) केवल यह प्रावधान करती है कि जहाँ कमिशनर के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट कोई अपराध किया है जो कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या (ii), या उपधारा (2) के तहत दंडनीय है, तो वह आदेश द्वारा केंद्रीय कर के किसी भी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

12. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसे व्यक्ति को "विश्वास करने के कारण" उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है और केवल कमिशनर के पास यह "विश्वास करने का कारण" होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कथित अपराध कारित किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा में प्रयुक्त शब्द "मै/सकता है" का प्रभाव "शैल/होगा" शब्द के समान है और यह प्रकृति में अनिवार्य है, न कि केवल निर्देशात्मक।

13. प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)** के मामले में निर्णय के पैराग्राफ संख्या 58 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कमिशनर को इस प्रकार संलिप्त व्यक्ति की गिरफ्तारी का निर्देश देते समय अपने आदेश में "विश्वास करने के कारण" अभिलिखित करने होंगे। अभियुक्त को "विश्वास करने के कारण" की प्रति तामील करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. उन्होंने तीसरे तर्क दिया कि राधिका अग्रवाल (**उपरोक्त**) के मामले में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 की वैधता को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है और इसलिए याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कानूनी रूप से गलत है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. उन्होंने चौथा तर्क दिया कि चूंकि **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 और 70 की वैधता को बरकरार रखा गया है, इसलिए जब तक सीजीएसटी अधिनियम के उक्त प्रावधानों को "विश्वास करने के कारण" की तामीली के संदर्भ में पुनः चुनौती नहीं दी जाती, तब तक याची के पास ऐसा तर्क उठाने का विकल्प नहीं है जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है।

16. प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में प्रस्तुत किया कि **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सीजीएसटी अधिनियम के मामले पर लागू नहीं होता है जो अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आंशिक रूप से **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत है। वह प्रस्तुत करते हैं कि **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य (उपरोक्त)** के मामले का यह आधार, कि जहाँ अपराध 7 वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए दंडनीय है वहाँ गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, सीजीएसटी अधिनियम के तहत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।

17. प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 17.1.2026 को शाम 5:00 बजे याची पर गिरफ्तारी के आधारों की तामीली रिमांड आदेश के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि याची को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध करा दिए गए थे।

18. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि पहला प्रश्न जिसका निर्धारण किया जाना है, वह रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में है। प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुरजोर तर्क दिया गया है कि याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि याची को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67/69 के अनुसार कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। हम पाते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया ऐसा तर्क रिकॉर्ड से प्रकट नहीं होता है। यह स्थापित कानून है कि यदि न्यायालय पाता है कि मजिस्ट्रेट

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा पारित रिमांड का आदेश कानून के अनुसार नहीं है, तो ऐसे मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी अवैध हो जाती है और इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्तुत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस दृष्टिकोण को **वी. सैथिल बालाजी बनाम राज्य द्वारा उप निदेशक एवं अन्य, (2024) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 51** के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 28 से समर्थन मिलता है।

19. याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क भी विचारणीय है कि याची को "गिरफ्तारी के आधार" के साथ-साथ "विश्वास करने के कारण" भी उपलब्ध कराए जाने आवश्यक थे। **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 34 से यह स्पष्ट है कि गिरफ्तार व्यक्ति को "गिरफ्तारी के आधार" और "विश्वास करने के कारण" अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने आवश्यक हैं। हम पाते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त टिप्पणी पी.एम.एल.ए. अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में थी न कि जीएसटी अधिनियम के संबंध में।

20. हमारे इस दृष्टिकोण को **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 58, 59, 60, 61, 64.2 से समर्थन मिलता है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:-

"58. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तारी का आदेश पारित करने के लिए, कमिशनर को उसके द्वारा अभिलिखित किए गए विश्वास करने के कारणों के माध्यम से संतोषजनक रूप से यह दिखाना होगा कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति ने एक गैर-जमानती अपराध कारित किया है और अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (5) की पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट होती हैं। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। राजस्व विभाग की ओर से प्रस्तुत इस तर्क के संबंध में कि जमानती अपराधों के मामले में गिरफ्तारियां नहीं की जाती हैं, हमारे विचार में, कमिशनर को विश्वास करने के कारण अभिलिखित करते समय अपनी संतुष्टि व्यक्त करनी चाहिए और धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट गैर-जमानती अपराध कारित किए जाने

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के संबंध में अपने निष्कर्ष के आधारभूत 'सामग्री' का संदर्भ देना चाहिए। उपधारा (1) के खंड (i) के तहत मौद्रिक सीमाओं के संदर्भ में संलिप्त कर की गणना, जो अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाती है, प्रासंगिक और पर्याप्त सामग्री का संदर्भ देकर समर्थित होनी चाहिए।

59. उपरोक्त अभ्यास पूरी तरह से ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए, न कि बिना किसी आधारभूत तर्क और सामग्री के केवल अपनी मर्जी के आधार पर। गिरफ्तारी सामग्री पर भरोसा करते हुए कारणों द्वारा समर्थित इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि धारा 132 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट शर्तें संतुष्ट होती हैं, न कि केवल संदेह के आधार पर। केवल यह जांच करने के लिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती कि क्या शर्तें पूरी हो रही हैं। गिरफ्तारी कमिशनर द्वारा राय बनाने पर की जानी है, जिसे विश्वास करने के कारणों में विधिवत रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। विश्वास करने के कारण ऐसे साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए जो कमिशनर की संतुष्टि के अनुसार यह स्थापित करें कि जीएसटी अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (5) की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

60. हमारा ध्यान दिल्ली उच्च न्यायालय के मेक माय ट्रिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2016 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 4951 के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया था, जो वित्त अधिनियम, 1994 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति की व्याख्या करने वाला निर्णय है। ये प्रावधान सेवा कर से संबंधित हैं। उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य करों को जीएसटी व्यवस्था के तहत समाहित कर लिया गया है। तदनुसार, हम इस निर्णय में रिकॉर्ड किए गए निष्कर्षों से इस सीमा तक सहमत हैं कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सतर्कता से किया जाना चाहिए न कि आकस्मिक तौर पर। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सेवा कर के मामले में है, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग केवल संदेह या आशंका के आधार पर, या विवेचना के लिए भी नहीं किया जाना है, जब तक कि जीएसटी अधिनियमों की धारा 132 की उपधारा (5) की शर्तें संतुष्ट नहीं होती हैं।

61. हालांकि, मेक माय ट्रिप (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर अवलम्ब लेते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 132 की उपधारा (5) के तहत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और अपवंचित या त्रुटिपूर्ण रूप से रिफंड किए गए कर या गलत तरीके से प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की मात्रा को निर्धारित करते हुए एक कर-निर्धारण आदेश पारित नहीं कर दिया जाता। हमारे अनुसार, इस तर्क को एक सामान्य या व्यापक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम यह स्वीकार करेंगे कि सामान्यतः कर-निर्धारण की कार्यवाहियां चोरी किए गए कर आदि की मात्रा को निर्धारित करेंगी और यह दर्शाएंगी कि क्या जीएसटी अधिनियमों की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) के निबंधनों का कोई उल्लंघन हुआ है और क्या उपधारा (1) का खंड (i) आकर्षित होता है। परंतु ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाँ कर-निर्धारण के किसी औपचारिक आदेश के बिना भी, विभाग/राजस्व को पर्याप्त निश्चितता के साथ यह भरोसा हो कि यह धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) के तहत अपराध का मामला है और चोरी किए गए कर आदि की मात्रा जीएसटी अधिनियमों की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) के अंतर्गत आती है। ऐसे मामलों में, कमिशनर गिरफ्तारी अधिकृत कर सकता है जब वह 'विश्वास करने के कारण' का पता लगाने और उसे रिकॉर्ड करने में सक्षम हो। जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, विश्वास करने के कारण स्पष्ट होने चाहिए और उनमें ऐसी राय के आधारभूत सामग्री और साक्ष्यों का संदर्भ होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए निश्चितता की एक डिग्री होनी चाहिए कि अपराध कारित किया गया है और ऐसा अपराध गैर-जमानती है। संदेह के लाभ का सिद्धांत समान रूप से लागू होगा और जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, तो न तो कमिशनर द्वारा और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी अनदेखी की जानी चाहिए।

64.2. इसके अतिरिक्त, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार समझाए जाने चाहिए और उन्हें गिरफ्तारी मेमो में नोट किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के आधारों से संबंधित इस निर्देश को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (जीएसटी- विवेचना शाखा) द्वारा निर्देश संख्या- 01/2025-जीएसटी दिनांक 13.01.2025 (जीएसटी/आईएनवी/इंस्ट्रक्शन/21-22) के माध्यम से संशोधित किया गया था। दिनांक 13.01.2025 का परिपत्र अब यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आधार समझाए जाने चाहिए और उसे चेतावनी मेमो के एक अनुलग्नक के रूप में लिखित रूप में भी दिए जाने चाहिए। गिरफ्तारी मेमो की तामीली के समय गिरफ्तार व्यक्ति से उसकी पावती ली जानी चाहिए।"

21. **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरोक्त पैराग्राफों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि यह कमिशनर के लिए है कि वह अपनी राय के आधारभूत सामग्री और साक्ष्यों के संदर्भ में 'विश्वास करने के कारण' को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित और अभिलिखित करे। ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि अभियुक्त को "विश्वास करने के कारण" उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसलिए, याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज किया जाता है।

23. याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि याची को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उसे एक ऐसे अपराध कारित करने के लिए संलिप्त किया गया है जो 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए दंडनीय है, सही प्रतीत होता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल (उपरोक्त)** के मामले में विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर निर्णय के आधार की प्रयोज्यता को अपवर्जित नहीं किया है। इसलिए हम सहमत हैं कि **सतेंद्र कुमार अंतिल (उपरोक्त)** के मामले में निर्णय का आधार इस मामले पर भी लागू होगा।

24. प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रति-शपथपत्र की ओर संकेत किया है और यह प्रदर्शित किया है कि गिरफ्तारी मेमो, जामा तलाशी, गिरफ्तारी के आधार और याची की गिरफ्तारी के संबंध में उसकी पत्नी को भेजी गई सूचना याची और उसकी पत्नी को सौंप दी गई थी और उनके हस्ताक्षर दिनांक 16.1.2026 को ही ले लिए गए थे, जबकि रिमांड का आदेश दिनांक 17.1.2026 को पारित किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि दिनांक 17.1.2026 को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले याची को गिरफ्तारी के आधार और अन्य दस्तावेज तामील करा दिए गए थे। अतः, याची को "गिरफ्तारी का मेमो" व "गिरफ्तारी के आधार" उपलब्ध कराने और उसकी गिरफ्तारी के संबंध में उसकी पत्नी को सूचना की प्रति उपलब्ध कराने से संबंधित कानून के जनादेश का पूर्ण अनुपालन हुआ है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



25. याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या- 1 और 2 के अधिवक्ता का तर्क पूरी तरह से गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिरक्षा में रहने के दौरान सभी दस्तावेजों पर याची के हस्ताक्षर लिए गए थे और उसकी प्रति कभी भी याची या उसकी पत्नी को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष याची की ओर से विशिष्ट रूप से यह तर्क दिया गया था कि **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)**, **रिहान कुमार** आदि के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करते हुए याची को "गिरफ्तारी के आधार" कभी उपलब्ध नहीं कराए गए थे और सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश का उल्लंघन किया गया है। ऐसा कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है जो यह साबित करे कि रिकॉर्ड पर "विश्वास करने के कारण" मौजूद थे और इसलिए अभियोजन पक्ष के रिमांड आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे यह भी इंगित किया कि रिमांड मजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि याची को "गिरफ्तारी के आधार" उपलब्ध करा दिए गए हैं। रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज निष्कर्ष केवल यह है कि दिनांक 16.1.2026 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और "गिरफ्तारी के आधार" उसे हिंदी और अंग्रेजी में मौखिक रूप से संसूचित किए गए थे और उस पर दिनांक 16.1.2026 को उसके हस्ताक्षर लिए गए थे तथा उसकी गिरफ्तारी के बाद, "गिरफ्तारी के आधार" का मेमो उसे उपलब्ध कराया गया था जिसे रिकॉर्ड पर लाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय को बंद लिफाफे में "विश्वास करने के कारण" की प्रति उपलब्ध कराई गई है, जिसका न्यायालय द्वारा परिशीलन किया गया है।

26. हम **राधिका अग्रवाल (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ संख्या 64.2 से पाते हैं कि दिनांक 13.1.2025 के परिपत्र के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार समझाए जाने चाहिए और उसे गिरफ्तारी मेमो के एक अनुलग्नक के रूप में लिखित रूप में भी दिए जाने चाहिए। इस मामले में हम पाते हैं कि गिरफ्तारी मेमो में किसी अनुलग्नक का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या- 1 और 2 ने गिरफ्तारी मेमो के साथ उसके अनुलग्नक के रूप में "गिरफ्तारी के आधार" उपलब्ध न कराकर अपने स्वयं के दिनांक 13.1.2025 के परिपत्र का अनुपालन नहीं किया है। इस कारण से भी हम पाते हैं कि याची का रिमांड आदेश अवैध है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



27. याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इंगित किया है कि रिमांड आदेश दिनांक 17.1.2026 में की गई पृष्ठांकन के अनुसार, याची के विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय में शाम 5:00 बजे चिकित्सीय रिपोर्ट और गिरफ्तारी के आधारों की प्रति प्राप्त हुई थी। इसलिए उनका तर्क है कि रिमांड आदेश पारित होने के बाद याची के अधिवक्ता को चिकित्सीय रिपोर्ट और गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे। इससे पहले उसके हस्ताक्षर केवल गिरफ्तारी के आधारों पर लिए गए थे। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने बंद लिफाफे को खोलकर कमिशनर द्वारा दर्ज किए गए "विश्वास करने के कारण" को देखा, जिसमें इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। राधिका अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ के अनुसार, न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि क्या "विश्वास करने के कारण" यह दर्शाते हैं कि याची की गिरफ्तारी किसी विश्वसनीय साक्ष्य पर भरोसा करते हुए की गई है या यह केवल याची के विरुद्ध संदेह की विवेचना करने के लिए की गई है। क्या गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग सतर्कता के साथ किया गया था और प्रत्यर्थी के रिमांड आवेदन को स्वीकार करने से पहले न्यायालय द्वारा इस मामले को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था, जो कि रिमांड आदेश से प्रकट नहीं होता है।

28. इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि उसकी गिरफ्तारी प्रभावी होने से पहले याची पर "गिरफ्तारी के आधार" की वास्तविक तामीली के संबंध में गंभीर तथ्यात्मक विवाद है क्योंकि रिमांड आदेश में ऐसा कोई विवरण नहीं है कि याची को उसकी गिरफ्तारी के समय और रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले "गिरफ्तारी के आधार" की प्रति उपलब्ध कराई गई थी, तथा रिमांड आदेश के निष्कर्ष को कानून के अनुसार न पाते हुए और **सतेंद्र कुमार अंतिल (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए, हम यह मानते हैं कि रिमांड आदेश कानूनी त्रुटि से ग्रस्त है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसे एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

29. यह रिट याचिका **स्वीकार की जाती है।**

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30. इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से विधिवत डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर याची को अभिरक्षा से रिहा कर दिया जाएगा, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा किए बिना, जिसे साप्ताहिक अवकाश के बाद न्यायालय खुलने पर दाखिल किया जाएगा।

31. प्रत्यर्थी के पास यह विकल्प होगा कि यदि आवश्यक हो, तो वह कानून के अनुसार याची के विरुद्ध नए सिरे से कार्यवाही आगे बढ़ाए।

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

13 फरवरी, 2026

रुचि अग्रहरी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"